

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी (म.प्र.)

क्रमांक / 2164 / एस.डब्ल्यू / कोरोना / 2020

सिवनी, दिनांक 21/03/2020

// आदेश //


कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के लक्षण, कोरोना से पीड़ित किसी व्यक्ति की जानकारी CORONAVIRUS Control Room Phone No. 07692-220323, 227423 देने, क्षेत्र में कोरोना वायरस से बचाव के सुझाव बताने एवं आमजन में जागरूकता लाने हेतु शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नानुसार दल का गठन किया जाता है : -

क्रं.	पदनाम	विभाग
1	2	3
ग्रामीण क्षेत्र समिति -		
1	सम्बंधित हल्का पटवारी	राजस्व विभाग
2	सम्बंधित सचिव, ग्राम पंचायत	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
3	सम्बंधित रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
4	सम्बंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	महिला एवं बाल विकास विभाग
शहरी क्षेत्र समिति -		
1	सम्बंधित वार्ड मुंशी	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
2	सम्बंधित पार्षद/पूर्व पार्षद(नगरपालिका भंग होने पर)	जनप्रतिनिधि
3	सम्बंधित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	महिला एवं बाल विकास विभाग

2/ उपरोक्त ग्रामीण एवं शहरी समिति जिला सिवनी के प्रत्येक ग्राम एवं शहरी वार्ड क्षेत्र (सिवनी, बरघाट, लखनादौन) में कोनोरा वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु जनजागृति लाने का कार्य करेगी।

3/ क्षेत्रीय समिति अपने-अपने कार्यक्षेत्र में कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से पीड़ित व्यक्ति या उसके सामान्य लक्षण दर्शित होने पर तत्काल CORONAVIRUS Control Room Phone No. 07692-220323, 227423 पर सूचना देगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।



कलेक्टर,

जिला-सिवनी

सिवनी, दिनांक 21/03/2020

पृ. क्रमांक / 2164-A / एस.डब्ल्यू / कोरोना / 2020
प्रतिलिपि :-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिवनी
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिवनी
3. जिला कार्यम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, सिवनी
4. परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण, सिवनी
5. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, - सिवनी / बरघाट / केवलारी / लखनादौन / घंसौर / कुरई
6. तहसीलदार, तहसील - सिवनी / बरघाट / केवलारी / लखनादौन / घंसौर / धनौरा / छपारा / कुरई
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत -
सिवनी / बरघाट / केवलारी / लखनादौन / घंसौर / धनौरा / छपारा / कुरई
8. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, सिवनी / बरघाट / लखनादौन
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
9. सर्व सम्बंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


कलेक्टर,
जिला-सिवनी